

कार्यालय वनमण्डलाधिकारी सामान्य वनमंडल खण्डवा (म०प्र०)

दूरभाष क (0733)-2223244 फेक्स क (0733) 2224531 ई-मेल dfot.khd@mp.gov.in

खण्डवा, दिनांक 16/7-19

क्रमांक/मा.चि./भाम/2019/ 2561

प्रति,

कार्यपालन यंत्री
जल संसाधन संभाग, खण्डवा

विषय :- भाम मध्यम सिंचाई परियोजना में वनभूमि 148.75 हे. हेतु क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण राशि में विसंगति बाबत।

संदर्भ :- आपका पत्र क्रमांक 1849 दिनांक 05.07.2019
---000---

उपरोक्त विषय एवं संदर्भ में लेख है कि भाम मध्यम सिंचाई परियोजना में वनभूमि 148.75 हे. हेतु क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण राशि की मध्यप्रदेश शासन वन विभाग के पत्र क्रमांक-एफ-03-11/2018/10-2 भोपाल दिनांक 14.05.2019 के अनुसार 40 हे. से अधिक प्रकरणों में प्रति हे. दर 3,20,000/- अक्षरी रूपये तीन लाख बीस हजार दर्शायी गयी है। तदनुसार 148.75 हेक्टेयर हेतु वैकल्पिक वृक्षारोपण की राशि 4,76,00,000/- रूपये (अक्षरी चार करोड़ छियोत्तर लाख रूपये) एवं Soil and Moisture Conservation हेतु सी.ए. योजना की 25 प्रतिशत राशि इस प्रकार 1,19,00,000/- रूपये (अक्षरी एक करोड़ उननीस लाख रूपये) एवं नेट प्रोजेक्ट वेल्यू की राशि 11,94,46,250/- (अक्षरी ग्यारह करोड़ चौरानबे लाख छियालीस हजार दो सौ पचास रूपये) यथावत रहेंगी। उपरोक्तानुसार राशियां ई-पोर्टल के माध्यम से जमा कराते हुये यूटीआर क्रमांक दिनांक से अवगत कराने का कष्ट करें। संलग्न उपरोक्तानुसार।

वनमण्डलाधिकारी

सामान्य वनमण्डल खण्डवा
खण्डवा, दिनांक 16/7-19

पृष्ठांकन क्रमांक/मा.चि./भाम/2019/ 2562

प्रतिलिपि :-

- 1- अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध) सतपुड़ा भवन भोपाल म.प्र. की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
- 2- मुख्य वन संरक्षक खण्डवा वृत्त खण्डवा की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

वनमण्डलाधिकारी
सामान्य वनमंडल खण्डवा